संरक्षण संबंधित कानूनों की संक्षिप्त जानकारी

वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, १९७२ (२००३ व २००६ के संशोधन सहित)

KALPAVRIKSH

कल्पवृक्ष

संरक्षण संबंधित कानूनों की संक्षिप्त जानकारी[1]

वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, १९७२ (२००३ व २००६ के संशोधन सहित)

यह अधिनियम भारत की पारिस्थितिकी व प्राकृतिक सुरक्षा पर नज़र रखते हुए जंगली जानवरों, पक्षियों, पौधों व उनसे जुड़े मामलों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है।

१. इस अधिनियम में क्या-क्या शामिल है?

यह अधिनियम जम्मू व कष्मीर को छोड़कर बाकी भारत के वन्यजीवों के लिए लागू है। ''वन्यजीव'' का मतलब यहां उन सभी वन्य प्राणियों (जानवर व वनस्पति) से है जो पानी, ज़मीन या आकाश में पाए जाते हैं।

२. इस अधिनियम के अंतर्गत कौन-कौन से प्राधिकरण बनाए गए हैं?

केन्द्रीय सरकार के स्तर पर:

- वन्यजीव संरक्षण निदेशक व अन्य अफसर (खण्ड ३)
- वन्यजीव राष्ट्रीय बोर्ड, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री रहेंगे। यह बोर्ड निम्नलिखित कार्य करेगा (खण्ड ५(A) व ५(C)):
  - वन्यजीव संरक्षण, गैर कानूनी शिकार, वन्यजीवों व उनके शरीर के अंगों की गैर कानूनी बिक्री रोकने आदि से संबंधित नीतियां बनाना व केन्द्रीय और राज्य सरकारों को सलाह देना।
  - राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों व अन्य संरक्षित क्षेत्रों को स्थापित करना व उनके प्रबंधन के लिए सुझाव देना।
  - वन्यजीव संरक्षण को प्रभावकारी बनाने के लिए उपाय सुझाना।
  - वन्यजीवों पर, कम-से-कम हर २ साल में एक वक्तव्य रिपोर्ट बना कर प्रकाशित करना।
- एक राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (अंश ९ देखिए)।

---

१ दिव्या राधाकृष्णन व ध्रुव सिंह, सिमबाएसिस सोसाइटी के लॉ कालेज (पुणे) के विद्यार्थियों, द्वारा कल्पवृक्ष के लिए, आशीष कोठारी व नीमा पाठक के मार्गदर्शन में तैयार किया गया। संपादकीय सहयोग तेजस्वनी आप्टे व एरिका तारापोरवाला ने दिया। यह वैधानिक टिप्पणियां प्रत्येक कानून के मुख्य प्रावधानों को आसान शब्दों में उपलब्ध कराने के लिए हैं इसलिए इनमें कानूनों का विश्लेशण शामिल नहीं है।

- बाघ व अन्य संकटग्रस्त प्रजातियों के विरुद्ध अपराध नियंत्रण ब्यूरो (खण्ड ३८(Y) व ३८(Z)) जिसके निम्नलिखित कार्य हैं:
  - संगठित वन्यजीव अपराधों के विषय में खुफ़िया जानकारी इकट्ठी कर कार्यवाही हेतु अन्य एजेंसियों को देना।
  - विभिन्न अधिकारियों, राज्य सरकार व अन्य संबंधित अधिकारियों की कार्यवाही का संचालन करना।
  - विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधनों के अंतर्गत भारत की जिम़्मेदारियों को पूरा करना।

राज्य सरकार के स्तर पर:

- एक मुख्य वन्यजीव पालक, वन्यजीव पालक व अन्य अधिकारी (खण्ड ४)।
- राज्य वन्यजीव बोर्ड, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। यह बोर्ड निम्नलिखित कार्य करेगा (खण्ड ६ और ८):
  - संरक्षित क्षेत्रों का चयन व प्रबंधन।
  - लाइसेंस व परमिट देने के नियम बनाना।
  - वन्यजीवों की सुरक्षा व संरक्षण के साथ-साथ आदिवासियों व वनों में रहने वाले अन्य पारंपरिक समुदायों की ज़रूरतों में ताल-मेल बनाने के लिए सुझाव देना।
- ''बाघ संचालक कमिटि'' (टाइगर स्टीयरिंग कमिटि) और ''बाघ संरक्षण संस्थान'' (टाइगर कन्ज़रवेशन फाउन्डेशन) (अंश ९ देखिए)।

३. इस अधिनियम में जंगली जानवरों के शिकार से संबंधित क्या प्रावधान हैं?

अधिनियम में संलग्न परिशिष्ट के ५ शेड्यूलों में विभिन्न प्रजातियों के जंगली जानवरों का शिकार वर्जित है। शेड्यूल १ व शेड्यूल २ के भाग २ में शामिल वन्यजीवों के व्यापार के खिलाफ और भी कड़े प्रावधान हैं। ५वां शेड्यूल पौधों व फसलों को हानि पहुंचाने वाले जानवरों से संबंधित है और इन जानवरों का कई स्थितियों में शिकार करने की अनुमति दी जा सकती है।

शेड्यूल १ से ४ में दिए गए वन्यजीवों के शिकार के लिए तभी अनुमति दी जा सकती है, जब मुख्य वन्यजीव पालक संतुष्ट हो जाए कि कोई एक जानवर मानव जीवन के लिए खतरनाक हो गया है, या वह इस हद तक बीमार या अपंग हो गया है कि उसे बचाना मुश्किल है (खण्ड ९ और ११)।

शिकार की परिभाषा में निम्नलिखित शामिल है खण्ड २(१६):

क) किसी भी वन्यजीव (जो मुक्त हो या जिसे पकड़कर रखा गया हो) का शिकार करना या ज़हर दे कर मारना, या मारने की कोशिश करना।

ख) किसी वन्यजीव (जो मुक्त हो या जिसे पकड़कर रखा गया हो) को पकड़ना, उसका पीछा करना, उसपर फंदा डालना, उसे जाल में फंसाना या प्रलोभन दे कर फंसाना, या ऐसा करने की कोशिश करना।

ग) ऐसे जानवरों को चोट पहुंचाना या उनके शरीर के अंगों को निकालना या जंगली पक्षियों व रेंगने वाले जानवरों के अंडों को क्षति पहुंचाना या उनके अंडों व घोंसलों को उनकी जगह से हटाना।

यह अधिनियम निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के शिकार के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं डालता (खण्ड ६५)।

४. इस अधिनियम में जंगली पौधों की सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान हैं?

इस अधिनियम के अंतर्गत, कुछ 'निर्धारित' पौधों (जो शेड्यूल ६ में दिए गए हैं) की सुरक्षा का प्रावधान है। किसी भी व्यक्ति को अपनी मर्ज़ी से इन पौधों को उठाने, उखाड़ने, नष्ट करने, अर्जित करने या इकट्ठा करने की इजाज़त नहीं है - चाहें वह वन क्षेत्र के अंदर हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कियी अन्य क्षेत्र में हो (खण्ड १७(A))। किंतु शिक्षा या वैज्ञानिक कारणों के लिए मुख्य वन्यजीव पालक की अनुमति लेकर इन जंगली पौधों का उपयोग किया जा सकता है (खण्ड १७(B))।

किसी भी व्यक्ति को निर्धारित पौधों, जीवित या मृत हासिल करने, बेचने, हस्तांतरित करने या एक जगह से दूसरी जगह भेजने की अनुमति नहीं है। किंतु अनुसूचित जनजाति के सदस्य अपने जिले में उपलब्ध इन निर्धारित पौधों को अपने स्वतः के उपयोग के लिए, उठा, इकट्ठा या धारण कर सकते हैं (खण्ड १७(A))।

किसी भी व्यक्ति को लाइसेंस के बिना निर्धारित पौधों की खेती करने या उसका व्यापार करने की अनुमति नहीं है (खण्ड १७(C) व (D))।

५. इस अधिनियम में संरक्षित क्षेत्रों व उनमें अधिकारों से संबंधित क्या प्रावधान हैं?

इस अधिनियम के अंतर्गत ५ प्रकार के संरक्षित क्षेत्र घोषित किए जा सकते हैं। उनमें से ४ प्रकार के विषय में नीचे चर्चा की गई है और पांचवां, बाघ आरक्षित क्षेत्र है, जिसकी चर्चा भाग ९ में की गई है। संलग्न तालिका १ में इन चारों प्रकार के संरक्षित क्षेत्रों के प्रावधानों की तुलना की गई है।

नीचे राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र से संबंधित प्रावधान दिए जा रहे हैं - हालांकि

केन्द्रीय सरकार भी राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य घोषित कर सकती है (इस प्रावधान का आज तक उपयोग नहीं किया गया है)।

अभ्यारण्य

राज्य सरकार एक अधिसूचना के ज़रिए किसी क्षेत्र को वन्यजीव व प्रकृति के संरक्षण हेतु अभ्यारण्य बनाने की मंशा की घोषणा कर सकती है (खण्ड १८)।

इस अधिसूचना को जारी करने के ३० दिन के अंदर राज्य सरकार एक अधिकारी की नियुक्ति करेगी, जो जिलाधीश की भूमिका में काम करेगा/करेगी। यह अधिकारी अभ्यारण्य के अंतर्गत आने वाली भूमि पर लोगों के अधिकारों के स्वरूप व सीमाओं को निर्धारित करेगा/करेगी (खण्ड १८(B))।

अधिकारों की बंदोबस्ती करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया होगीः

- अभ्यारण्य की सीमाओं के अंतर्गत आने वाली भूमि पर लोगों के अधिकारों के स्वरूप व सीमाओं की जांच (खण्ड १९)।
- इस अधिसूचना के बाद, निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत, साधारण विरासत की प्रक्रिया को छोड़कर, किसी भी भूमि पर कोई नया अधिकार प्राप्त नहीं किया जा सकेगा (खण्ड २०)।
- अधिसूचना के बाद, ६० दिन के अंदर, क्षेत्रीय भाषा में, प्रत्येक कस्बे व गांव में, या अभ्यारण्य के पड़ोसी क्षेत्र में जिलाधीश एक घोषणा करेंगे, जिसमें निम्नलिखित शामिल होगा (खण्ड २१)ः
  - अभ्यारण्य का स्थल व सीमा।
  - कोई भी व्यक्ति जो इस क्षेत्र में अपना अधिकार सिद्ध करना चाहता हो उसके लिये यह जरूरी है कि वो जिलाधीश के सामने घोषणा के २ माह के अंदर, अपने अधिकारों के लिखित विवरण व मुआवज़े की राशि का विवरण लेकर प्रस्तुत हो।
- जिलाधीश की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे दावों, या ऐसे अधिकारों जिनका दावा किसी कारण नहीं किया गया है उनके अस्तित्व की, राज्य सरकार के रिकार्ड और उनकी जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति की गवाही के माध्यम से जांच करें (खण्ड २२)।
- इस जांच के बाद जिलाधीश दावे को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए एक आदेश जारी करे। अगर दावे को स्वीकृति मिलती है, तो जिलाधीश निम्नलिखित कार्यवाही कर सकता है (खण्ड २४)ः

  क. दावों के क्षेत्र को अभ्यारण्य की सीमाओं से बाहर रख सकता है।

ख. ऐसी भूमि या अधिकारों का अधिग्रहण कर सकता है - उस स्थिति को छोड़कर जहां अधिकारधारी ने पहले ही भूमि अधिग्रहण अधिनियम, १९८४ के अंतर्गत सरकार द्वारा दिए गए मुआवज़े के बदले अपने अधिकारों का आत्मसमर्पण के लिए राजी हो गए हों।

ग. मुख्य वन्य जीव पालक की राय लेने के बाद ऐसे अधिकारों को जारी रखने की अनुमति दे सकता है।

अभ्यारण्य बन जाने की अंतिम घोषणा ऊपर दी गई प्रक्रियाएँ पूरी होने पर की जा सकती है। फिर अधिनियम के सभी प्रावधान, गतिविधियों पर सीमाओं व प्रतिबंधों सहित, लागू हो जाएंगे।

२००३ के संशोधन के बाद, इस अधिनियम में यह प्रावधान डाला गया है कि जब तक अधिकारों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती, तब तक राज्य सरकार को प्रभावित लोगों के लिए ईंधन, चारे व अन्य वन संसाधनों का वैकल्पिक इंतज़ाम करना होगा (खण्ड १८(A))।

अधिनियम में दो प्रकार के क्षेत्रों को अधिकारों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया से छूट हैः आरक्षित वन और तटवर्ती जल क्षेत्र। आरक्षित वनों में ये मान लिया जाएगा कि आरक्षित वन की घोषणा करते समय यह प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। जल क्षेत्रों में आवश्यक है कि राज्य सरकार सुनिश्चित करे कि स्थानीय मछुआरों के व्यवसायिक हित व किसी जहाज़ के आवागमन के अधिकार को क्षति न पहुँचे (खण्ड २६(A))।

किसी तटवर्ती क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र की सीमाओं में शामिल करने से पहले ज़रूरी है कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति ले और सीमाओं का निर्धारण केन्द्रीय सरकार के मुख्य नौसेना जलचित्रकार की सलाह से किया जाए (खण्ड २६(A))।

अभ्यारण्य के नियमानुसार, कोई भी व्यक्ति अभ्यारण्य में प्रवेश या आवास नहीं कर सकता। मगर कुछ लोगों को इससे छूट है - (१) सरकारी ड्यूटी पर कर्मचारी (२) मुख्य वन्यजीव पालक की अनुमति प्राप्त व्यक्ति (३) जिस व्यक्ति का अभ्यारण्य में संपत्ति का अधिकार है व उस व्यक्ति पर आश्रित लोग (४) राजमार्ग से गुज़रते हुए लोग। (खण्ड २७)।

मुख्य वन्यजीव पालक अभ्यारण्य के अंदर जाने या रहने की अनुमति दे सकते हैं, यदि इनमें से कोई एक कारण हो - अभ्यारण्य का अध्ययन, वन्यजीवों के चित्र लेना, वैज्ञानिक अध्ययन, पर्यटन या अभ्यारण्य में रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार के लेन-देन का काम (खण्ड २८)।

मुख्य वन्यजीव पालक की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर अभ्यारण्य में नहीं जा सकता (खण्ड ३१)। अभ्यारण्य में आग लगाने की या रसायन, विस्फोटक या अन्य ऐसी सामग्री जिससे वन्यजीवों को क्षति पहुंच सकती है, ले जाने की अनुमति नहीं है (खण्ड ३० व ३२)।

मुख्य वन्यजीव पालक के पर्मिट के बिना किसी भी व्यक्ति को किसी वन्यजीव को नष्ट करने या उसे हटाने, या उसके आवास-स्थल को क्षति पहुँचाने, या अभ्यारण्य के अंदर आने वाले या बाहर जाने वाले पानी का बहाव बढ़ाने या उसका रास्ता बदलने की अनुमति नहीं है। राज्य सरकार, राज्य वन्यजीव सलाहकार बोर्ड की राय से यह निर्धारित कर सकती है कि ऐसा पर्मिट वन्यजीवन के बेहतर प्रबंधन के लिए आवश्यक है या नहीं। इस उद्देश्य से यदि कोई वन संसाधन निकाला जाए, तो वह स्थानीय समुदाय को उनके उपयोग के लिए मिलना चाहिए - बशर्ते कि वह व्यापारिक उपयोग के लिए न हो (खण्ड २९)।

प्रत्येक अभ्यारण्य के लिए एक सलाहकार समिति बनाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यह समिति राज्य सरकार को अभ्यारण्य के संरक्षण व प्रबंधन के विषय में सलाह देगी। इस समिति के अध्यक्ष मुख्य वन्यजीव पालक (या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो वन संरक्षक से नीचे के पद का न हो) होंगे। साथ ही इस समिति में राज्य विधानसभा का १ सदस्य, पंचायती राज संस्थाओं के ३ प्रतिनिधि, गैर सरकारी संस्था के २ प्रतिनिधि, वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय ३ व्यक्ति, गृह विभाग व पशुचिकित्सा विभाग से एक-एक प्रतिनिधि, सम्मानार्थ पद पर वन्यजीव पालक और अभ्यारण्य के कार्यभार के लिये जिम्मेदार अधिकारी भी होंगे। अभ्यारण्य अधिकारी सचिव की भूमिका में रहेंगे (खण्ड ३३(B))।

राष्ट्रीय उद्यान

राज्य सरकार किसी क्षेत्र के वन्यजीव व प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा व विकास के लिए, उसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है - चाहें वह क्षेत्र अभ्यारण्य के अंदर हो या बाहर (खण्ड ३५)।

अधिकारों की बंदोबस्ती के लिए जो प्रक्रिया अभ्यारण्यों के लिए दी गई है, वही प्रक्रिया यहाँ भी लागू होगी। लेकिन जब दावे दाखिल हो गए हों और उन्हें स्वीकृति मिल गई हो, तो जिलाधीश की जिम्मेदारी है कि वह सभी अधिकारों का उचित मुआवज़ा देकर उन्हें खारिज कर दे क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान में अधिकारों को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती (खण्ड ३५(३))।

राष्ट्रीय उद्यान की सीमा को राज्य सरकार, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की राय लिए बिना, बदल नहीं सकती (खण्ड ३५(५))।

राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पालतू जानवरों की चराई नहीं की जा सकती है (खण्ड ३५(७))।

अभ्यारण्य में लागू सभी प्रावधान राष्ट्रीय उद्यानों में भी लागू होते हैं (खण्ड ३५(८))।

संरक्षण आरक्षित क्षेत्र

राज्य सरकार, स्थानीय समुदायों के साथ चर्चा के बाद, किसी भी सरकारी क्षेत्र, खासकर, अभ्यारण्य व राष्ट्रीय उद्यान के नज़दीक के क्षेत्रों को संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकती है (खण्ड ३६(A))। इसके बाद राज्य सरकार को एक संरक्षण आरक्षित क्षेत्र प्रबंधन समिति का गठन करना होगा, जो मुख्य वन्यजीव पालक को इस क्षेत्र के संरक्षण व प्रबंधन के लिए सलाह देगी। इस कमिटी में, वन या वन्यजीव विभाग का एक प्रतिनिधि, आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों का एक-एक प्रतिनिधि, वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे गैर-सरकारी संस्थाओं से ३ प्रतिनिधि और कृषि विभाग व पालतू जानवरों से संबंधित विभागों से एक-एक प्रतिनिधि शामिल होंगे (खण्ड ३६(B))।

सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र

अगर किसी व्यक्ति या समुदाय ने अपनी निजी भूमि या सामुदायिक भूमि पर वन्यजीव संरक्षण की इच्छा ज़ाहिर की हो, उस क्षेत्र को राज्य सरकार सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकती है।

इस क्षेत्र में संरक्षण व प्रबंधन के लिए राज्य सरकार एक सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र प्रबंधन कमिटि का गठन करेगी। इस कमिटि को इस क्षेत्र के प्रबंधन के लिए योजना बनाने व लागू करने की शक्ति होगी। इस कमिटि में ग्राम पंचायत द्वारा नामित और जहाँ पंचायत न हो वहाँ ग्राम सभा द्वारा नामित, ५ प्रतिनिधि होंगे। इसके अतिरिक्त राज्य के वन या वन्यजीव विभाग के एक-एक सदस्य होंगे (खण्ड ३६(D))।

सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद, इस क्षेत्र की भूमि उपयोग में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। हालांकि, यदि प्रबंधन कमिटि द्वारा पारित प्रस्ताव राज्य सरकार भी मंजूर कर दे तो बदलाव किया जा सकता है (खण्ड ३६(C))।

६. इस अधिनियम में पर्यटन के नियंत्रण के लिए क्या प्रावधान है?

मुख्य वन्यजीव पालक पर्यटन के लिए अभ्यारण्य में प्रवेश व आवास की अनुमति दे सकता है (खण्ड २८)। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुमति के बिना, अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के अंदर किसी भी प्रकार के व्यवसायिक पर्यटन लौज, होटल, चिड़ियाघर या 'सफारी' उद्यान बनाने की अनुमति नहीं है (खण्ड ३३)। मुख्य वन्यजीव पालक को वन्यजीव सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्यटन को नियंत्रित करने की शक्तियाँ दी गई हैं।

७. अधिनियम द्वारा जंगली जानवरों व उनके अंगों से बनी वस्तुओं के व्यापार को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है?

इस अधिनियम के उल्लंघन में प्राप्त, कोई भी मारा गया जंगली जानवर (पौधों और वन्यजीवों के लिए हानिकारक जीव-जन्तुओं को छोड़कर), या उनके अंगों से बनी वस्तुएँ या उनके शरीर के अंग, राज्य सरकार की सम्पत्ति मान लिए जाएंगे। और यदि ये उल्लंघन केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है, तो सभी उपरिलिखित वस्तुएँ केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति होंगी (खण्ड ३९)।

यदि किसी व्यक्ति के पास शेड्यूल-१ या शेड्यूल-२ के भाग-२ में वर्णित कोई जानवर हो, या उसका सर या उसके अंगों से बनी वस्तु या कस्तूरी हिरन का पित्त या गैंडे के सींग हों तो उसे मुख्य वन्यजीव पालक के सामने इन्हें घोषित करना होगा, और मुख्य वन्यजीव पालक की लिखित अनुमति के बाद ही उसे बेच या हस्तांतरित कर सकेगा (खण्ड ४०)।

इस प्रकार के किसी भी धारण के लिए स्वामित्व के प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है (खंड ४२)।

शेड्यूल १ और शेड्यूल २ के भााग-२ में वर्णित किसी जानवर के व्यापार की अनुमति नहीं है (खण्ड ४४)। इसके अलावा, मोर की पूंछ के पंखों के अतिरिक्त, बाकी जानवरों के अंगों के व्यापार के लिए लाइसेंस ज़रूरी है (खण्ड ४८)।

८. अपराध रोकने या सज़ा के क्या प्रावधान हैं?

किसी भी अधिकृत अधिकारी को निरीक्षण करने, गाड़ियों को रोकने या शक होने पर वारंट जारी करके जांच करने की शक्तियाँ दी गई है (खण्ड ५०)। इस प्रावधान में

अनजाने में संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश कर गए मछुआरों को छूट है।

अधिनियम का उल्लंघन करने पर सात साल तक की कैद, और/या २५,००० रुपए का जुर्माना हो सकता है (खण्ड ५१)। यदि किसी कम्पनी द्वारा उल्लंघन किया गया है, तो उस कंपनी और जो भी व्यक्ति उल्लंघन किए जाते समय कंपनी के लिए जिम़्मेदार थे, उनको सज़ा हो सकती है (खण्ड ५८)।

राज्य सरकार मुख्य वन्यजीव पालक को सूचना देने वाले व्यक्ति के लिए रुपये १०,००० तक के ईनाम देने की शक्तियाँ दे सकती है (खण्ड ६०(B))।

९. इस अधिनियम में बाघ आरक्षित क्षेत्रों के लिए क्या खास प्रावधान हैं?

वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, २००६ के अंतर्गत एक राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण स्थापित किया गया है। पर्यावरण एवं वन मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय सरकार इस संस्था का गठन करेगी (खण्ड ३८(L))।

इस प्राधिकरण के कार्य व शक्तियाँ निम्नलिखित हैं (खण्ड ३८(O))ः

- राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई बाघ संरक्षण योजनाओं को स्वीकृति देना।
- बाघ आरक्षित क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय संतुलन को खतरा पहुंचाने वाली गतिविधियों को बंद करना।
- मानव-वन्यजीव मुठभेड़ के मुद्दों को सुलझाने के लिए उचित कदम उठाना और स्थानीय लोगों व वन्यजीवों के परस्पर सौहार्दपूर्ण जीवन पर ज़ोर देना।
- बाघ आरक्षित क्षेत्रों में सुरक्षा व संरक्षण योजनाओं पर जानकारी उपलब्ध कराना।
- बाघों व उनके आवास-स्थलों के विषय पर अध्ययन का संचालन व निरीक्षण करना।
- सुनिश्चित करना कि इन क्षेत्रों के अंदर या दो बाघ आरक्षित क्षेत्रों के बीच पड़ने वाले क्षेत्रों को ऐसे कारणों के लिए उपयोग न किया जाए जिससे पारिस्थितिकीय संतुलन को खतरा पैदा होता हो। हालांकि, यदि यह उपयोग लोकहित में हो और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड इनकी अनुमति दे, तो स्वीकृति दी जा सकती है।

बाघ संरक्षण प्राधिकरण बाघों व उनके लिए आरक्षित क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए निर्देश दे सकता है। लेकिन प्राधिकरण को इस बात का ध्यान रखना होगा कि इन निर्देशों से स्थानीय लोगों, खासकर अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों में बाधा न आए (खण्ड ३८(O)(२))।

प्रत्येक राज्य सरकार बाघों के संरक्षण के लिए एक 'स्टीयरींग कमिटि' का गठन करेगी जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री रहेंगे (खण्ड ३८(U))। वह एक बाघ संरक्षण फाउन्डेशन

भी स्थापित करेगी, जो बाघ आरक्षित क्षेत्रों में बाघों के संरक्षण को प्रोत्साहन देगी (खण्ड ३८(X))।

राज्य सरकार, बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर किसी क्षेत्र को बाघ आरक्षित क्षेत्र (टाइगर रिज़र्व) घोषित कर सकती है, जिसके लिए उसे एक बाघ संरक्षण योजना बनानी होगी। इस योजना में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कृषि, विकास, आजीविका व लोगों के अन्य अधिकारों को इस निर्णय/घोषणा से क्षति न पहुँचे (खण्ड ३८(V))।

बाघ आरक्षित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों व अन्य आदिवासियों के अधिकारों में फेरबदल की जा सकती है या उनका विस्थापन किया जा सकता है, यदि इन प्रक्रियाओं से जुड़ी सभी शर्तें दोनों पक्षों को मान्य हों। इसके लिए निम्नलिखित शर्तों पर स्वीकृति होना अति आवश्यक है (खण्ड ३८(V)(५)):

क) अधिकार की स्वीकृति और बंदोबस्ती की प्रक्रिया पूरी हो गई हो।

ख) यह स्थापित हो चुका हो कि कथित समुदायों के रहने या उनकी गतिविधियों से बाघ व उसके आवास-स्थल को खतरा है या अपूर्णनीय क्षति पहुंच सकती है।

ग) यह स्थापित हो गया हो कि सह-अस्तित्व के कोई भी विकल्प संभव नहीं हैं।

घ) पुनर्स्थापन की एक योजना तैयार कर ली गई हो जो राष्ट्रीय राहत व पुनर्वास नीति के प्रावधानों को पूरा करती हो। तथा संबंधित ग्राम सभा और संबंधित लोगों ने सभी जानकारियों के आधार पर उस योजना पर अपनी स्वीकृति दे दी हो।

अधिनियम के अनुसार, संबंधित अनुसूचित जनजातियों व अन्य आदिवासियों के अधिकारों में तब तक फेरबदल नहीं की जा सकती है, जब तक पुनर्वास के स्थान पर भूमि-आवंटन व अन्य सभी सुविधाएँ पूरी तरह से उपलब्ध न करा दी गई हों (खण्ड ३८(V)(५))।

राज्य सरकार को किसी भी बाघ आरक्षित क्षेत्र की घोषणा को रद्द करने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि यदि आम जनता के हित में ऐसा करना अनिवार्य हो तो इसके लिए बाघ संरक्षण प्राधिकरण व राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्वीकृति लेना आवश्यक होगा (खण्ड ३८(W))।

विवरण	अभयारण्य	राष्ट्रीय उद्यान	संरक्षण आरक्षित क्षेत्र	सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र
अधिकारों की बंदोबस्ती	बंदोबस्त अधिकारी द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान बंदोबस्त अधिकारी दावों को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है, मुआवजे का निर्धारण, ग्रामीणों में चरागाह और मुख्य वन्यजीव पालक की सहमति से अधिकारों की स्वीकृति दे सकता है	अभयारण्य के समान लेकिन किसी भी प्रकार के अधिकारों की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है	कुछ स्पष्ट नहीं लिखा गया है	कुछ स्पष्ट नहीं लिखा गया है; सम्भवतः सामुदायिक रिज़र्व पर छोड़ा है क्योंकि प्रबंधन योजना व रिज़र्व सामुदायिक समिति के हाथ में है
किसी भी वन्यजीव या वन संसाधन को क्षति पहुँचाना या क्षेत्र से बाहर निकालना, वन्यजीवों के आवास क्षेत्र को क्षति पहुँचाना, या पानी के बहाव को बदलने पर रोक/प्रतिबंध	लागू	लागू	कुछ स्पष्ट नहीं लिखा गया है	कुछ स्पष्ट नहीं लिखा गया है; सम्भवतः सामुदायिक रिज़र्व पर छोड़ दिया गया है
प्रवेश पर प्रतिबंध	कुछ खास श्रेणी के व्यक्तियों को छोड़कर, मुख्य वन्यजीव पालक की अनुमति आवश्यक है	अभयारण्य के समान	कुछ स्पष्ट नहीं लिखा गया है	कुछ स्पष्ट नहीं लिखा गया है; सम्भवतः सामुदायिक रिज़र्व पर छोड़ दिया गया है
परमिट दिया जाना	कुछ खास श्रेणियों को छोड़कर, मुख्य वन्यजीव पालक की अनुमति आवश्यक है	अभयारण्य के समान	कुछ स्पष्ट नहीं लिखा गया है	कुछ स्पष्ट नहीं लिखा गया है; सम्भवतः सामुदायिक रिज़र्व पर छोड़ दिया गया है
सीमाओं में परिवर्तन	राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सलाह पर	अभयारण्य के समान	कुछ स्पष्ट नहीं लिखा गया है	कुछ स्पष्ट नहीं लिखा गया है

प्रावधान	अभयारण्य	राष्ट्रीय उद्यान	संरक्षण आरक्षित क्षेत्र	सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र
आग जलाने पर प्रतिबंध	लागू	लागू	लागू	लागू
बिना लाइसेंस वाले हथियार उपयोग करने पर प्रतिबंध	लागू	लागू	लागू	लागू
हथियारों के साथ प्रवेश करने पर प्रतिबंध	लागू	लागू	कुछ संशोधन नहीं किया गया है	कुछ संशोधन नहीं किया गया है; प्रभावतः सामुदायिक रिज़र्व को छोड़ दिया गया है
व्यावसायिक लॉज, होटल, चिड़ियाघर व सफारी पार्क के लिए पक्की सड़कों का निर्माण, केवल राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्वीकृति पर	लागू	लागू	कुछ संशोधन नहीं किया गया है	कुछ संशोधन नहीं किया गया है; प्रभावतः सामुदायिक रिज़र्व को छोड़ दिया गया है
मवेशियों को चराने पर रोक	संशोधन नहीं किया गया है	लागू	कुछ संशोधन नहीं किया गया है	कुछ संशोधन नहीं किया गया है; प्रभावतः सामुदायिक रिज़र्व को छोड़ दिया गया है
संरक्षित क्षेत्र के 5 कि.मी. क्षेत्र में संक्रामक बीमारियों के खिलाफ मवेशियों का टीकाकरण	लागू	लागू	कुछ संशोधन नहीं किया गया है	कुछ संशोधन नहीं किया गया है; प्रभावतः सामुदायिक रिज़र्व को छोड़ दिया गया है
प्रबंधन व दिशानिर्देश के निर्णय	वन विभाग	वन विभाग	संरक्षण आरक्षित क्षेत्र प्रबंधक समिति के सुझाव के आधार पर मुख्य वन्यजीव वार्डन	सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र प्रबंधक समिति

संरक्षण संबंधित कानूनों की संक्षिप्त जानकारी[२]

वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, १९७२

(२००३ व २००६ के संशोधन सहित)

चित्रांकन: मधुवंती अनंतराजन

अनुवाद: निधि अग्रवाल

प्रकाशित: कल्पवृक्ष, अपार्टमेन्ट ५ श्री दत्तकृपा, ९०८ डेक्कन जिमखाना, पुणे-४११००४

फोन: ९१-२०-२५६७५४५०,

फोन/फैक्स: ९१-२०-२५६५४२३९

ईमेल: kvoutreach@gmail.com

वेबसाइट: www.kalpavriksh.org

आर्थिक सहयोग: मिज़रिओर, जर्मनी